

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

1. अधिष्ठता अधिकारी, औद्योगिक अधिकारण एवं श्रम न्यायालय अम्बाला, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद-1,2,3 गुरुग्राम-1,2 तथा हिसार।
2. संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, एन0 सी0 आर0 गुरुग्राम।
3. उप श्रम आयुक्त, पानीपत, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम- 1, 2, हिसार तथा रोहतक।
4. उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, अम्बाला,पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम-1 तथा हिसार।
5. सहायक श्रम आयुक्त, अम्बाला, यमुनानगर-1, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत-1, बहादुरगढ़, भिवानी, सिरसा, पलवल, कैथल, जीन्द तथा मेवात।
6. सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, यमुनानगर-1, कुरुक्षेत्र, करनाल, मेवात, रेवाड़ी, सोनीपत-1, रोहतक, भिवानी तथा सिरसा।
7. उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, गुरुग्राम-2 व फरीदाबाद।
8. सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य-कम-सर्टिफाईंग सर्जन, अम्बाला, हिसार, पानीपत, गुरुग्राम व फरीदाबाद।
9. सम्बन्धित लिपिक, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

क्रमांक:- 31350-402 दिनांक:- 10-11-2023

विषय:-

वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान भेजने बारे।


---:---:---

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग हरियाणा से प्राप्त पत्र क्रमांक No.2/5/2023-1B&C dated 30.10.2023 की हिदायतों अनुसार वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान 10 दिसम्बर 2023 तक वित्त विभाग को भेजा जाना है।

अतः आपको इस पत्र के साथ फार्म बी एम-2 व बी एम-10 भेजते हुये अनुरोध किया जाता है कि उनमें वर्ष 2024-25 Recurring Schemes (Non-Plan Scheme) का सही बजट अनुमान दिनांक 20.11.2023 तक अविलम्ब मुख्यालय को ऑनलाईन (acclabour16@gmail.com) तथा हार्डकापी को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि वित्त विभाग को वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान स्वीकृति हेतु समय पर भेजा जा सके। बजट अनुमान भेजते समय बजट हैड एवं स्कीम की स्टैम्प अवश्य लगाएं। यह स्मरण रहे कि इस सम्बन्ध में यदि देरी हुई तो इसकी जिम्मेवारी स्वयं आपकी होगी।

इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अनुरोध है कि वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की DDO द्वारा हस्ताक्षरित व केवल Computerized टाईप प्रति भेजे तथा इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस-2 मद से सम्बन्धित कर्मचारियों का वेतन बनाया जाता है उसका बजट हैड अलग-2 अंकित किया जाए ताकि बजट बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई न आए।

संलग्न/उपरोक्त


लेखा अधिकारी,
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

B.M.2
 Paragraphs- 3.2,3.5,3.6,4.5,4.6,,4.7,4.8,4.11,5.17,(ii) (a) and Appendix H

Annexure-I
 Form BM-2
 Major HEAD

Major HEAD SUB MAJOR HEAD MINOR HEAD STANDARD OBJECT OF EXPENDITURE	Accounts 2021-22	Actuals of previous year 2022-23 for last 6 months	Budget 2023-24	Actuals of current year 2023-24 for first 6 months	Revised Estimate 2023-24 Proposed by Deptt.	Budget Estimate 2024-25 Proposed by Deptt.	Remarks
Salaries							
D.A							
Leave Travel Concession							
Medical Allowance							
Stipend/Scholarship							
Travel Expenses							
Office Expenses							
POL							
Material & Supplies							
Rent Rate and Taxes							
Wages							
Motor Vehicle							
Grant-in-aid							
Foreign Allowance							
Other Charges							
Others (p1 Specify as selected form-Annexure- VI according to the requirement)							
Total							

Note: In the case of Irrigation Branch 6+3, for the salaries need not be supplied for any head except "Maintenance and Repairs" and "entitlements"

Contd...11

lu

